न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 09/2013

अनवान

1. अविचल पाण्डे पुत्र स्व0 नन्दकिशोर पाण्डें
2. अविनाश पाण्डे पुत्र स्व0 नन्दकिशोर पाण्डे
   जाति ब्राहम्ण निवासी माली मौहल्ला, पुष्कर तहसील पुष्कर, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. रघु पारीक पुत्र सीतारामाचार्य
2. बृजनन्दन पारीक पुत्र सीतारामाचार्य
3. पुरूषोतम पारीक पुत्र सीतारामाचार्य
4. विष्णुप्रसाद पारीक पुत्र सीतारामाचार्य
   सभी जाति ब्राहम्ण, निवासी बडी बस्ती, पुष्कर तहसील पुष्कर,जिला–अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री डूंगर सिंह राठौड, पुष्पेन्द्र सिंह नरूका अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री के..के.पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 09.11.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये एवं वसीयत दिनांक 31.01.74 का पूर्ण अवलोकन किये बिना ग्राम पुष्कर की आराजी खाता संख्या 268 खसरा नं0 151 रकबा 00–08–00, खसरा नं0 153 रकबा 00–04–00, 154 रकबा 04–02–10, 155 रकबा 00–03–00, 156 रकबा 03–11–00, 157 रकबा 01–00–10 कुल किता 6 कुल रकबा 08–10–00 बीघा भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 21.5.93 को पारित कर दिया गया। इस आदेश की पालना में नामान्तरकरण सं0 150 द्वारा स्व0 मांगीलाल जी की सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दी गई। सहायक भू–प्रबन्ध के उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 21.5.93 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट सं0 1 से 4 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट सं0 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित, रेस्पोडेन्ट्स की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब

09/11/16
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत किया गया जिसका अपीलान्टस द्वारा जवाबुल जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्टस/प्रार्थीगण द्वारा अपने दादा स्व0 मांगीलाल जी द्वारा की गई वसीयत में वर्णित अनुसार अपने काबिज हिस्से की भूमि पर निर्माण करवाना चाहा तो अप्रार्थी सं0 1 द्वारा मना करते हुए उपरोक्त भूमि उनके नाम दर्ज होना व्यक्त किया गया। इस पर प्रार्थीगण द्वारा जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि नामान्तरकरण संख्या 150 द्वारा स्व0 मांगीलाल जी की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी सं0 1 से 4 के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त नामान्तरकरण की प्रतिलिपि हेतु आवेदन दिनांक 27.02.2013 को आवेदन प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। इस पर ज्ञात हुआ कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 21.5.1993 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। दिनांक 28.02.2013 को भू–प्रबन्ध अधिकारी के यहाँ नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर दिनांक 1.03.2013 को नकल प्राप्त कर अजमेर आकर अभिभाषक से विधिक राय प्राप्त कर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 21.5.1993 के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय में जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुति में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। बहस अपील सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पुष्कर की आराजी खाता संख्या 268 खसरा नं0 151 रकबा 00–08–00, खसरा नं0 153 रकबा 00–04–00, 154 रकबा 04–02–10, 155 रकबा 00–03–00, 156 रकबा 03–11–00, 157 रकबा 01–00–10 कुल किता 6 कुल रकबा 08–10–00 के खातेदार श्री मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राहम्ण पारीक जो अपीलान्टस के दादा थे। उनके द्वारा अपने जीवन काल में दिनांक 31.1.1974 को एक वसीयत निष्पादित की गई थी जिसके प्रृष्ठ सं0 3 पर अंकित सम्पति को अपीलान्टस के पिता नन्दकिशोर पाण्डे के हक वसीयत किये जाने का नाप एवं सीमाओं सहित स्पष्ट उल्लेख किया गया है, उसी आराजी पर वे आज भी काबिज है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 4 ने अपने हिस्से की भूमि पर चारदीवारी निर्मित कर रखी है। अपीलान्टस के पिता का स्वर्गवास हो गया है। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के उक्त आक्षेपित आदेश की जानकारी अपीलान्टस को नहीं थी। अपीलान्टस द्वारा दादाजी की वसीयत अनुसार दी गई काबिज भूमि पर निमार्ण करवाना शुरू किया तो रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा भूमि उनके नाम दर्ज होना व्यक्त करते हुए निर्माण करने से मना कर दिया। इस पर अपीलान्टस द्वारा जानकारी कर आक्षेपित नामान्तरकरण बाबत सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश की नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त कर विधिक राय प्राप्त कर, वकील नियुक्त कर माननीय न्यायालय में अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 4 के नाम नामान्तरकरण खोलने के आवेदन पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये बिना वसीयत की जांच किये प्रश्नगत भूमिं का नामान्तरकरण अकेले रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 21.5.93 को पारित कर दिया। जिसकी पालना में

07/11/16
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण सं0 150 द्वारा स्व0 मांगीलाल जी की सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि वसीयत दिनांक 31.01.1974 के पेज सं0 3 पर अपीलान्टस के दादा स्व0 मांगीलाल जी ने स्पष्ट लिखा है कि " उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से निम्न नाम व सीमा के मध्य वाली भूमि मेरे पुत्र नन्दकिशोर पाण्डे सुपुत्र स्वयं मुकिर को वसीयत करता हूँ जिसमें श्री रघुनन्दनाचार्य व बृजनन्दन व पुरूषोतम व विष्णुप्रसाद का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहेगा और न इस भूमि के मालिक कहलायेगें। यह भूमि श्री नन्दकिशोर पाण्डे की मेरे स्वर्गवास के पश्चात पूर्ण रूप से मिल्कियत कहलायेगी। इस भूमि के अलावा बाकी समस्त भूमि तामीरात मकानात व कुऍ व मशीन की पंम्पींग सेट मिल्कियत श्री रघुनन्दनाचार्य आदि पुत्र गण श्री सीतारामाचार्य की होगी। विवरण भमि जो श्री नन्दकिशोर पांण्डे को वसीयत की गई है उसका नाम व सीमा निम्न प्रकार है।"

नाप– पूर्व में 113 एक सौ तेरह फुट पश्चिम – 110 एक सौ दस फुट

उत्तर– 70 सत्तर फुट दक्षिण– 55 पचपन फुट

सीमाः– पूर्व– बकाया भूमि जो श्री रघुनन्दनाचार्य आदि की जो उनकी मिलकियत रहेगी। पश्चिम– दिवार मकानात मालियान की। उत्तर–मकानात मुझ मुकिर की मिलकियत का है। दक्षिण– नोहरा माहेश्वरी समाज की मिलकियत का है। इससे पूर्णतया स्पष्ट था कि वसीयतकर्ता ने अपनी खातेदारी भूमि में से उपर वर्णित हिस्से की वसीयत अपीलान्टस के पिता के हक में किया जिसमें रेस्पोडेन्टस का कोई हक हिस्सा नहीं रखा गया। अतः उपरोक्त वर्णित हिस्सा अपीलान्टस के पिता के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना वसीयत का पूर्ण रूप से अवलोकन किये वसीयत के कन्टेन्ट्स के विपरीत जाकर, समस्त पक्षकारान को सुने बिना सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर का आदेश दिनांक 21.5.1993 व इसके आधार पर पारित नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट्स के दादा स्व0 मांगीलाल जी द्वारा की गई वसीयत दिनांक 31.1.1974 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया कि अपीलान्ट्स का स्व0 मांगीलाल जी द्वारा की गई वसीयत में वर्णित हिस्से पर कोई कब्जा नहीं है, ऐसे में उक्त आराजी पर निर्माण कार्य करने का उनका प्रश्न हीं उत्पन्न नहीं होता है। अपीलान्ट्स के पिता को सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय की पूर्ण जानकारी थी। लेकिन पारिवारिक मौखिक समझौते के आधार पर उनके द्वारा इस की अपील नहीं गई। अपीलान्ट्स की नियत में खोट आ जाने के कारण उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावें। राजकीय अभिभाषक ने कोई कथन अपेक्षित नहीं बताते हुए न्यायालय के निर्णय अनुसार पालना किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पुष्कर के वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 268 खसरा नं0 151 रकबा 00–08–00, खसरा नं0 153 रकबा 00–04–00, 154 रकबा 04–02–10, 155 रकबा 00–03–00, 156 रकबा 03–11–00, 157 रकबा 01–00–10 कुल किता 6 कुल रकबा 08–10–00 के खातेदार मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राहम्ण पारीक निवासी निज ग्राम दर्ज है। खातेदार द्वारा दिनांक 31 जनवरी 1974 को एक वसीयत निष्पादित की गई है। जिसमें वसीयत की गई भूमि का खसरा नम्बरान सहित उल्लेख किया गया है।

01/11/16
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

वसीयत के पृष्ठ संख्या 3 पर यह दर्ज किया गया है कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से निम्न नाप व सीमा के मध्य वाली भूमि मेरे पुत्र श्री नन्दकिशोंर पण्डे सुपुत्र स्वयं मुकिर को वसीयत करता हूँ जिसमें श्री रधुनन्दनाचार्य, व बृजनन्दन व पुरूषोतम व विष्णुप्रसाद का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहेगा और न इस भूमि के मालिक ही कहलावेगें। यह भूमि श्री नन्दकिशोंर पांडे की मेरे स्वर्गवास के पश्चात पूर्णरूप से मिलकियत कहलायेगी। इस भमि के अलावा बाकी समस्त भूमि व तामीरात मकानात व कुऍ व मशीनरी पंपीग सेट आदि मिलकियत श्री रघुनन्दनाचार्य आदि पुत्रगण श्री सीतारामाचार्य की होगी। वसीयत में आगे श्री नंदकिशोर पांडे को वसीयत की गई भूमि का नाप व सीमाऍ भी दर्शाई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि वसीयत के पृष्ठ संख्या 3 में अंकित उपरोक्त कथनो पर विचार नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भी उक्त वसीयत दिनांक 31.01.1974 को स्वीकार किया गया है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.5.1993 अपीलान्ट्स के पिता को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया जाना स्पष्ट है। नामान्तरकरण संख्या 150 भी वसीयत के अनुरूप विधिवत पारित होना जाहिर नहीं है इसलिये उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आक्षेपीय नामान्तरकरण यथावत रखा जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार कर आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 150 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार पुष्कर को इन निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों को समुचित रूप से साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपरोक्त सभी तथ्यों का भली भांति परीक्षण कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.11.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

09/11/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner